

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-1901- औसं/पाकालि/2014-11(1)ए०एस०/09

दिनांक 10 जून, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1627-औसं/पाकालि/2014-11(1)ए०एस०/2009 दिनांक 17.05.2014 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है एवं उक्त सम्बन्ध में निम्नवत आदेश निर्गत किये जाते हैं।

कारपोरेशन के आदेश संख्या-1568-औसं/2013-11(1)ए०एस०/2009 दिनांक 23.05.2013 द्वारा दिनांक 01.06.2013 से लम्बित की गयी निम्नलिखित 07 चिकित्सालयों की मान्यता आदेश संख्या-804-औसं-पाकालि/2014-11(1)ए०एस०/2009 दि० 28.02.14 द्वारा समाप्त की गई है:-

- 1- निशात हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, लालबाग, लखनऊ।
- 2- जावित्री हॉस्पिटल, तेलीबाग, लखनऊ।
- 3- सहारा हॉस्पिटल, लखनऊ।
- 4- उजाला हॉस्पिटल, इन्दिरा नगर लखनऊ।
- 5- बी०एन०के० हॉस्पिटल, निरालानगर, लखनऊ।
- 6- मेयो हॉस्पिटल सेन्टर प्रा०लि०, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 7- फोर्टिस हॉस्पिटल, नोयडा।

उक्त के सम्बन्ध में विभागीय कार्मिकों के हित/कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए स्पष्ट किया जाता है कि उक्त चिकित्सालयों में पूर्व आदेश संख्या-134-औसं/2013-11(1)ए०एस०/2009 दिनांक 31.01.2013 के क्रम में दिनांक 01.04.2013 से 28.02.2014 अवधि को मान्यता प्राप्त अवधि मानते हुए इस दौरान भर्ती होकर उपचार कराये जाने वाले प्रकरणों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति निर्धारित सामान्य नियमों, शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन अनुमत्य की जायेगी।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:-1901-औसं/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
- 2-प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
- 3-निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4-प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 5-अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 6-मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7-समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वितरण को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 8-समस्त उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9-समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवम् लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10-समस्त अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव-प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11-अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर लोड करने हेतु।
- 12-सलाहकार (चिकित्सा) (उत्पादन निगम), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 13-समस्त प्रबन्धक उपराकित सन्दर्भित अस्पताल।
- 14-सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 15-कट फाइल।

Naf Mathur
(नवनीत माथुर) 10.6.14
कार्मिक अधिकारी